न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 94 / 2024

सुरेन्द्र बनाम धर्मवीर वगैरह

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.04.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक व अनावेदक सं. 11 व 12 ग्राम भोजासर, पटवार हल्का भोजासर तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित जमीन हाल खसरा नं. 648 रकबा 1.45 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। अनावेदक सं. 1 लगायत 10 ग्राम भोजासर, पटवार हल्का भोजासर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित जमीन हाल खसरा नं. 651 रकबा 1.03 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है।आवेदक की सहखातेदारी काश्त की भूमि खसरा नं. 648 में आवागमन का रास्ता खसरा नं. 648 की पूर्वी दिशा में खसरा नं. 651 के मध्य से होते हुये भूमि खसरा नं. 651 के पूर्व में स्थित आम रास्ते में जाकर मिल जाता है। आवेदक की काश्त की भूमि में आवागमन का उक्त आम रास्ता काफी पुराना व कदीमी रास्ता है। उक्त रास्ते को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में डोटेड लाईन व मार्क ए से बी के रूप में दर्शित किया गया है।आवेदक अपनी खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नं. 648 में आवागमन खसरा नं. 651 के मध्य से करता है व उक्त रास्ता काफी वर्षों से चालू है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड किये जाने आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। पक्षकरान प्रार्थी सुरेन्द्र एवं सुभाष, रणवीर, फूलचन्द पुत्रान घड़सीराम के द्वारा राजीनामा पेश किया कि :–

" हम सुभाष रणवीर फूलबंद पुत्रगण घासीरामपूर्वक कथन करता है कि जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मडावा जिला झुझुनू के शपथपूर्वक कचन करते है. कि–

यह कि सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मंडावा जिला शुझुनू ने एक मुकदमा (प्रा पत्र) 251 ।त्ज। के तहत उनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम धर्मवीर आदि के नाम से उपखण्ड अधिकारी महोदय मण्डावा में कर रखा है उक्त मुकदमा में तारीखें पेशी आज नियत है। तथा सभी पक्षकारों की तामिल हो चुकी है पत्रावली वास्ते जवाब में नियत है

यह कि अब हम दोनों पक्षों (सुभाष रणवीर पुत्रगण घडसीराम) के मध्य उम्त रास्ते के प्रमाण के सम्बन्ध में राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा इस प्रकार से तय हुआ है–

यह कि सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर का खेत ख.न. 648 है जिसमें से सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर को जाने के लिए खेत खा.स. 651 जो भाई बटवारे में आया है इस खा.स. 651 की जमीन में सुभाष व रणवीर पुत्रगण घडसीराम की बीच की सीव के सहारे 12 फिट चो डा रास्ता जो की सुभाष की भूमि की सीव से उतरी दिशा की तरफ 12 फीट चोडी जमीन में सुभाष सह खातेदार ने देना तय किया है और बदले

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

में सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर के खेत खा.स. 648 में से पश्चिमी जमीन के पास से 12 फीट चौडी जो जमीन 18 फीट चौड़ी भूमि देना तय हुआ है।

(2) यह कि उक्त रास्ते के बदले व रास्ते में तारबदी व मेडबंदी होगी उसकी जिम्मेदारी सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर की होगी।

(3) यह कि यह जो भूमि का लेन देन हुआ है इस पर दोनों पक्ष भविष्य में मुकदमा बाजी नहीं करेगे तथा न ही इनके वारिसान करेगे

(4) यह कि सुभाष सह खातेदार से मिली भूमि पर स्वामित्व सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर का रहेगा । सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगाधर द्वारा इस भूमि के बदले दी गई भूमि पर सुभाष पुत्र घडसीराम रहेगा ।

यह कि उक्त परिवारिक राजीनामा पत्र सामाजिक तौर पर समाज के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव, मय लोभ लालच के किया है.''

उक्त राजीनामा बाद तस्दीक के शामिल मिसल किया गया । साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई।

निर्णय

अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक़्शा के अनुसार ख.न. 648 में आने जाने हेतु ख.न. 651 में कुल भूमि रकबा 300 वर्गमीटर तक का गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि के बाबत राजीनामा के अनुसार पक्षकारों के हिस्से में से दर्ज किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा